

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 39/2025 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द शर्मा खाद्य सुरक्षा बनाना  
अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

1. अजय वैष्णव पुत्र राधेश्याम वैष्णव मैसर्स  
अजय मिष्ठान्न भण्डार कोठिया नेशनल  
हाईवे 149, तहसील फुलियाकलां जिला  
भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं  
दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

## आदेश

दिनांक 07.10.2025

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी अजय वैष्णव पुत्र राधेश्याम वैष्णव मैसर्स अजय मिष्ठान्न भण्डार कोठिया नेशनल हाईवे 149, तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को गुलाब जामुन (वनस्पति में निर्मित) व अन्य सामान आदि का विक्रय कर रहा था। अजय वैष्णव पुत्र राधेश्याम वैष्णव मैसर्स अजय मिष्ठान्न भण्डार कोठिया नेशनल हाईवे 149, तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर गुलाब जामुन (वनस्पति में निर्मित) विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2024 को समय 5.00 पी.एम. पर बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु अजय वैष्णव पुत्र राधेश्याम वैष्णव मैसर्स अजय मिष्ठान्न भण्डार कोठिया नेशनल हाईवे 149, तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म का मालिक वह स्वयं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट संख्या एल.एस./141/एक्ट/2024/168 दिनांक 29.02.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, गुलाब जामुन (वनस्पति में निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने गुलाब जामुन (वनस्पति में निर्मित) में **Baudouin test of extracted fat. – Negative** पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह **Positive as per declaration** होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गुलाब जामुन (वनस्पति में निर्मित) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी गुलाब जामुन (वनस्पति में निर्मित) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गुलाब जामुन (वनस्पति में निर्मित) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 15,000/रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



07.10.25  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
2. अजय वैष्णव पुत्र राधेश्याम वैष्णव मैसर्स अजय मिष्ठान्न भण्डार कोटिया नेशनल हाईवे 149, तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)